हरीराम बनाम जहीर वगैरा (5)

दावा

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	8-6-17 पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प बाढकलां पर पेश हुई। वादी हरीराम उपस्थित है। वादी के बयान लिए गए। वादी का दावा डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली मे शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (बाबूलाल जाट) उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	Hariram

न्यायालय श्री बाबूलाल ...
कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
86/2013	22.5.2013	8.6.2017

हरिराम पुत्र देवकीलाल जाति रैगर निवासी गंगापुर सिटी ——वादी

बनाम

1. जहीर पुत्र वकील, मुसलमान नि0 नविया का बाढ तहसील गंगापुर सिटी
2. जमुना पुत्र वकील, मुसलमान नि0 नविया का बाढ तहसील गंगापुर सिटी
3. बोदया पुत्र वकील, मुसलमान नि0 नविया का बाढ तहसील गंगापुर सिटी
4. वकील पुत्र हसन खां,मुसलमान नि0नविया का बाढ तहसील गंगापुर सिटी
5. लियाकत पुत्र हसन खां, मुसलमान निवासी नविया का बाढ तहसील गंगापुर सिटी (नाम हजफ, आदेश दिनांक 8.6.2017 द्वारा)
6. दिलशे पुत्र जफर, मुसलमान नि0 नविया का बाढ तहसील गंगापुर सिटी
7. जफर पुत्र जुम्मा, मुसलमान निवासी नविया का बाढ तहसील गंगापुर सिटी (नाम हजफ, आदेश दिनांक 8.6.2017 द्वारा)
8. बाबू पुत्र बहादुर, मुसलमान नि0 नविया का बाढ तहसील गंगापुर सिटी
9. रईस पुत्र मौहम्मद, मुसलमान नि0 नविया का बाढ तहसील गंगापुर सिटी
10. रतनलाल पुत्र सेडया, बैरवा निवासी बाढकलां तहसील गंगापुर सिटी
11. मंगलराम पुत्र नौल्या, बैरवा निवासी बाढकलां तहसील गंगापुर सिटी

——प्रतिवादीगण

दावा स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :—श्री हरिराम रैगर, वादी

निर्णय

उपरोक्त उनवानी दावा वादी हरीराम ने इस आशय का पेश किया है कि वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि ख0नं0 223 रकबा 1.61 है0 ग्राम बाढकलां में स्थित है जो रतनलाल पुत्र सेड्या व कैलाशचंद पुत्र गुलवा की खातेदारी व कब्जे की भूमि रही है। इस भूमि में कैलाशचंद का 1/2 हिस्सा था। रतनलाल ने अपने 1/2 हिस्से की भूमि में से 157/322 हिस्से की भूमि मंगलराम पुत्र नोल्या को विक्रय कर दी तथा कैलाशचंद से उसके हिस्से की 1/2 भूमि को वादी ने दिनांक 18.12.2012 को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया एवं अब वादी इस भूमि में सहखातेदार है। प्रतिवादी सं0 1 लगायत 9 का इस भूमि से कोई वास्ता नहीं है। प्रतिवादीगण वादी द्वारा भूमि खरीद करने से नाराज हैं और वे वादी को भूमि से बेदखल कर कब्जा करने पर आमादा हैं। दिनांक 15.5.2013 को प्रतिवादी सं0 1 ता 9 उक्त भूमि में आए व जबरन नींव खोद कर निर्माण करने को उतारू हो गए। वादी ने मना किया तो वादी को जातिसूचक शब्दों से सम्बोधित कर जान से मारने को उतारू हो गए तथा भूमि पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी। अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी सं0 1 ता 9 स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे आराजी ख0नं0 223 रकबा 1.61 हैक्टर ग्राम बाढकलां में वादी के 1/2 हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त में वादी को किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वयं उत्पन्न करें और न ही किसी अन्य से करवायें एवं वादी को बेदखल करने का प्रयास नहीं करें और न ही कोई निर्माण करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया ।

प्रतिवादीगण बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए अतः प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

वादपत्र के समर्थन में वादी ने नकल जमाबंदी सं0 2068 से 2071 पेश की है एवं स्वयं के बयान कराए हैं।

पत्रावली दिनांक 8.6.2015 को राजस्व लोक अदालत कैम्प बाढकलां पर पेश हुई। वादी स्वयं उपस्थित हुआ। वादी के बयान लिए गए एवं वादी को सुना गया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। नकल जमाबंदी सं0 2068 से 2071 के अनुसार भूमि 223 रकबा 1.61 हैक्टर ग्राम बाढकलां वादी एवं प्रतिवादी संख्या 10, 11 की खातेदारी में दर्ज है। प्रतिवादीगण ने वादी के वादपत्र का कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया है। विवादित भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 10, 11 की खातेदारी में दर्ज है एवं इसमें वादी का 1/2 हिस्सा दर्ज है। इसलिए प्रतिवादीगण को वादी की खातेदारी में दर्ज उसके 1/2 हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में वादी को किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने का कोई अधिकार नहीं है फलस्वरूप वादी का वाद डिक्री किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे भूमि ख0नं0 223 रकबा 1.61 हैक्टर ग्राम बाढकलां में वादी के 1/2 हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में वादी को किसी भी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करें न ही किसी अन्य से करावें तथा इसमें किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं करें। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 8.6.2017 को राजस्व लोक अदालत शिविर बाढकलां में सुनाया गया ।

(बाबूलाल जाट)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी)

(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

Judi/Civil
Part IV-10

[illegible] उप जिलाकलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी

[illegible] बाबूलाल जाट, आर0ए0एस0

उनवान

[illegible] पुत्र देवकीलाल जाति रैगर निवासी गंगापुर सिटी ——वादी

बनाम

1. [illegible] पुत्र वकील, मुसलमान नि0 नविया का बाढ तहसील गंगापुर सिटी
2. [illegible] पुत्र वकील, मुसलमान नि0 नविया का बाढ तहसील गंगापुर सिटी
3. [illegible] पुत्र वकील, मुसलमान नि0 नविया का बाढ तहसील गंगापुर सिटी
4. [illegible] पुत्र हसन खां,मुसलमान नि0नविया का बाढ तहसील गंगापुर सिटी
5. [illegible] पुत्र हसन खां, मुसलमान निवासी नविया का बाढ तहसील गंगापुर सिटी (नाम हजफ, आदेश दिनांक 8.6.2017 द्वारा)
6. [illegible] पुत्र जफर, मुसलमान नि0 नविया का बाढ तहसील गंगापुर सिटी
7. [illegible] पुत्र जुम्मा, मुसलमान निवासी नविया का बाढ तहसील गंगापुर सिटी (नाम हजफ, आदेश दिनांक 8.6.2017 द्वारा)
8. बबू पुत्र बहादुर, मुसलमान नि0 नविया का बाढ तहसील गंगापुर सिटी
9. [illegible] पुत्र मौहम्मद, मुसलमान नि0 नविया का बाढ तहसील गंगापुर सिटी
10. [illegible] पुत्र सेडया, बैरवा निवासी बाढकलां तहसील गंगापुर सिटी
11. [illegible] पुत्र नौल्या, बैरवा नि0 बाढकलां तह0गंगापुरसिटी——प्रतिवादीगण

दावा स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. – 86/2013

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री हरिराम मिनजानिब मुद्दई —— मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे भूमि ख0नं0 223 रकबा 1.61 हैक्टर ग्राम बाढकलां में वादी के 1/2 हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में वादी को किसी भी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करें न ही किसी अन्य से करावें तथा इसमें किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 8.6.2017 को जारी किया गया ।

(बाबूलाल जाट)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		